कुलाधिपति
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर - 222003
CHANCELLOR
Veer Bahadur Singh Purvanchal University
Jaunpur - 222003

राज भवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

पत्रांक: ई– 2830 / 20–जी0एस0(68) / 2024 दिनांक : 08 अप्रैल मई, 2025

आदेश

1. प्रत्यावेदिका डा. जाह्नवी श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग, समन्वयक मिशन शक्ति, प्रभारी महिला अध्ययन केन्द्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 68 के अन्तर्गत् प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 13.02.2024 व अन्य के माध्यम से वरिष्ठता निर्धारण संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.12.2023 को निरस्त किये जाने एवं अपनी वरिष्ठता बहाल किये जाने की याचना की गयी है।

2(क). प्रत्यावेदिका का कथन है कि प्रत्यावेदिका, जिसकी जन्मतिथि 30.06.1976 है, द्वारा दिनांक 18.05.2018 पूर्वान्ह को विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय (विपक्षी), जिनकी जन्मतिथि दिनांक 17.07.1983 है, द्वारा उपर्युक्त पद पर दिनांक 18.05.2018 अर्थात उसी दिन कार्यभार ग्रहण किया गया। समान दिवस पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में परिनियम 17.07 एवं 17.09 बिन्दु 3 : *'अध्यापकों की ज्येष्ठता/वरिष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी'* के अनुसार वरिष्ठता सूची में प्रत्यावेदिका का क्रम विपक्षी के ऊपर है, जो नियम संगत है तथा इसी नियम के आधार पर अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में भी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची, जो दिनांक 07.1.2022 को प्रकाशित हुई थी, पर 90 दिन का समय देते हुए शिक्षकों से आपत्तियाँ मांगी गयी, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा भ्रामक प्रपत्रों के आधार पर चयन सूची में अपना नाम प्रथम बताते हुए वरिष्ठता सूची में प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ होने के लिए कुलपति/कुलसचिव को अतिगोपनीय दस्तावेज चयन समिति की संस्तुति का हवाला देते हुए प्रत्यावेदन दिया गया। विपक्षी के

पत्र पर तत्कालीन कुलपति द्वारा एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की गठित समिति ने तद्समय विपक्षी द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को निरस्त कर विश्वविद्यालय द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची कार्य परिषद की बैठक में प्राप्त अनुमोदन तथा तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए राजभवन को भी प्रेषित की गई थी। विपक्षी उक्त वरिष्ठता सूची से संतुष्ट नहीं थे तो परिनियमावली के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी होने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकते थे, किन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे वह दिनांक 20.04.2022 को जारी वरिष्ठता सूची से संतुष्ट थे। उसी वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रत्यावेदिका को अध्ययन परिषद का संयोजक तथा कैस के अंतर्गत विपक्षी के ऊपर वरिष्ठता निर्धारित की गयी।

2(ख). वर्तमान कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विपक्षी द्वारा लगभग 15 माह बाद पुनः भ्रामक प्रपत्रों के माध्यम से वरिष्ठता सूची में अपना स्थान बदलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। तत्पश्चात प्रत्यावेदिका द्वारा भी दिनांक 05.10.2023 को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु प्रत्यावेदिका के प्रत्यावेदन को दरकिनार कर, विपक्षी द्वारा दिए गए पत्र को संज्ञान लेते हुए वर्तमान कुलपति ने उक्त प्रकरण, किसी भी समिति से जांच कराए बिना सीधे कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 में रख कर कार्यसूची 13 का निर्णय लिया गया कि चयन समिति की संस्तुति में अंकित क्रमानुसार वरिष्ठता अवधारित की जायेगी जो कि पूर्व में लिए गए निर्णय एवं जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 20.04.2022 के विपरीत व अनुचित है।

2(ग). विश्वविद्यालय/चयन समिति द्वारा किसी भी प्रकार की मेरिट सूची जारी नही की गई थी और न ही किसी तरह की लिखित परीक्षा कराई गई थी, न ही साक्षात्कार का कोई अंक प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर वरिष्ठता तय हो सके, चयन समिति की संस्तुति में किसी भी तरह के वरिष्ठता क्रम का जिक्र नहीं किया गया है। चयन समिति द्वारा order of merit शब्द का प्रयोग न करके order of priority शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्वविद्यालय परिनियम 17.05(ख) में उल्लिखित है कि चयन समिति द्वारा अधिमानता या योग्यता कम निर्धारण यदि है

तो यही वरिष्ठता का आधार होगा। चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय उपरोक्त से आच्छादित नहीं है। परिनियम 17.08(1)(क) में उल्लिखित है कि कार्य परिषद चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में प्राध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे प्राध्यापकों की योग्यता का क्रम अवधारित करेगी तथा धारा 17.08 (2) ऐसे योग्यता क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक प्राध्यापक रखे जाय, की सूचना संबंधित प्राध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जाएगी। प्रत्यावेदिका की नियुक्ति के समय इसकी कोई भी सूचना उसे नही दी गई। परिनियम 17.09 में उल्लेख है कि यदि किसी संकाय के अध्यापकों की वरिष्ठता विवादग्रस्त है तो अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले दो संकायाध्यक्ष की समिति गठित की जाएगी, परंतु उस संकाय का संकायाध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं होगा, जिस संकाय की वरिष्ठता विवादग्रस्त है। कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी। कुलाधिपति का गोरखपुर विश्वविद्यालय के मामले में स्पष्ट आदेश है कि अधिनियम, 1973 की धारा 13 में कुलपति को वरिष्ठता निर्धारण का विधिक अधिकार नहीं है।

2(घ). कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्णय के आधार पर विपक्षी प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ हो गए हैं जो नियमानुसार/विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 04.11.2023 को गठित व सम्पन्न उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति के सदस्य प्रो. बी.बी. तिवारी ने समान दिवस पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में वयोवृद्धता/जन्मतिथि को वरिष्ठता का आधार माना था तथा समिति द्वारा यह भी तय किया गया था कि विश्वविद्यालय स्तर पर वरिष्ठता क्रम समान दिवस पर कार्यभार ग्रहण करने पर वयोवृद्धता/जन्मतिथि को ही आधार मानकर निर्धारण किया जाता है तथा इसी आधार पर विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त अनुदानित महाविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज संयोजकों एवं संकायाध्यक्षों को पदस्थ किया जाता है। दिनांक 04.11.2023 को सम्पन्न, पूर्व वरिष्ठता समिति के निर्णय को संज्ञान में न लेते हुए एवं प्रत्यावेदिका के प्रत्यावेदन पर भी विचार न करते हुए, लिया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

2(ङ). प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग के अतिरिक्त पूरे विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि इस तरह के प्रकरण अन्य विभागों में भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि प्रत्यावेदिका की चयन प्रक्रिया सीधी भर्ती के माध्यम से की गयी है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की मेरिट सूची नहीं जारी की गई थी, जिसमें पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख नहीं किया गया है, अतएव विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 21.12.2023 को निरस्त करते हुए प्रत्यावेदिका को उपर्युक्त याचित अनुतोष प्रदान किया जाये।

3(क). विपक्षी द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा इसी तरह के एक मामले में कुलाधिपति आदेश संख्या : ई–3405/जी.एस., दिनाँक 02.07.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश 31.07.2020 के द्वारा वरिष्ठता क्रम के विवाद का निस्तारण किया गया था। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–23115/2014 पर पारित आदेश दिनाँक 23.04.2014 एवं कुलाधिपति द्वारा अवधारित किए गए तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक समय में एक ही विज्ञापन से एक ही कॉलेज/विश्वविद्यालय में एक ही विषय के लिए दो से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति पर वरिष्ठता का निर्धारण परिनियम 17.14(1) के अनुसार होगा। वरिष्ठता निर्धारण में पद स्थापन तिथि और नियुक्ति तिथि अर्थहीन/महत्वहीन है। वरिष्ठता निर्धारण हेतु चयन समिति द्वारा चयन सूची में दर्शित योग्यता क्रम वरिष्ठता का आधार है। जैसा कि प्रत्यावेदिका द्वारा उल्लिखित किया गया है कि समान दिवस पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में परिनियम 17.07 एवं 17.09 बिन्दु 3 के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता/वरिष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी, जो अंतिम विकल्प के रूप में परिनियमावली में इंगित है, जो केवल उस दशा में ही लागू होगा, जब पूर्व में दिये गये किन्ही पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार वरिष्ठता अवधारित नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में पूर्व में कुलाधिपति आदेश ई.–3405/जी.एस., दिनाँक 02.07.2020 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 17.05 बिन्दु ख में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की

गयी हों और यथास्थिति चयन समिति या कार्यपरिषद द्वारा अधिमानता (Preference) या योग्यता क्रम (Merit) इंगित किया गया हो, वहाँ इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी।

3(ख). वर्तमान प्रकरण में चयन समिति के निर्णय (प्राथमिकता क्रम) को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा नियुक्ति के समय तथा दिनांक 04.11.2023 के कार्यसूची संख्या–13 द्वारा पुनः संस्तुति की गयी है, और इस संदर्भ में कार्य परिषद द्वारा पूर्व अथवा वर्तमान में कुलाधिपति कार्यालय को कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है।

3(ग). विपक्षी के कथनानुसार उसके द्वारा सर्वप्रथम नियुक्ति के पश्चात इस विभाग में विभागीय/संकाय वरिष्ठता सूची को स्पष्ट करने हेतु पत्र दिया गया था, जिसके क्रम में करीब एक वर्ष बाद अस्थायी वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से जारी करने के पूर्व आपत्तियों सहित आवेदन करने को कहा गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा इसी तरह के प्रकरण में कुलाधिपति के उपर्युक्त आदेश दिनाँक 02.07.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 31.07.2020 के द्वारा वरिष्ठता क्रम के विवाद का निस्तारण पत्र और संलग्नक तथा सम्बन्धित परिनियम को संलग्न करते हुए दिनाँक 21.01.2022 को कुलसचिव कार्यालय को पत्र के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज की गयी थी। आपत्ति पर गठित समिति द्वारा बिना तर्क–सम्मत एवं उसे समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना पूर्व के प्रावधानों को ध्यान रखे बिना दिये गये साक्ष्य को जाँचे बिना प्रत्यावेदिका के पक्ष में निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय को कुलसचिव कार्यालय द्वारा उसे सूचित भी नहीं किया गया और परिसर में कार्यरत शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची का कार्यालय आदेश दिनाँक 20.04.2022 द्वारा निर्गत कर दिया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी द्वारा पुनः दिनाँक 07.05.2022 को कुलपति कार्यालय को इस सूची पर पुनः विचार करने के लिए पत्र दिया गया था, परंतु अभी तक इस संदर्भ में विपक्षी को प्रशासनिक कार्यालय से व्यक्तिगत रूप में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रत्यावेदिका द्वारा कुलाधिपति को पत्र के माध्यम से यह सूचित करना कि विपक्षी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित वरिष्ठता सूची को सहर्ष स्वीकार करते हुए 90 दिन के अंदर कोई भी

पत्राचार नहीं किया गया, की सूचना गलत साबित होती है। प्रत्यावेदिका द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो सूची संलग्न की गयी है, वह केवल सूची है, परंतु वहाँ पर वरिष्ठता का निर्धारण करते समय यदि कोई विवाद/आपत्ति था, तो उसका निस्तारण कैसे किया गया, का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिसके आधार पर इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है।

3(घ). प्रत्यावेदिका द्वारा प्रकरण में यह आरोप लगाना कि विपक्षी द्वारा वर्तमान कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विपक्षी द्वारा भ्रामक प्रपत्रों के माध्यम से वरिष्ठता सूची में अपना नाम गलत तरीके से बदलवाने हेतु पत्र दिया गया, जिसके अनुपालन में पुनः बिना किसी समिति के समक्ष रखते हुए कुलपति द्वारा उक्त प्रकरण को कार्य परिषद के समक्ष चर्चा हेतु रखने को निराधार बताया गया है। विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विवाद/नीति–निर्धारण हेतु अधिनियम, 1973 के तहत कार्य परिषद सबसे उपयुक्त विधायी समिति है, जिसके निर्णय को प्रत्यावेदिका द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा विपक्षी के प्रकरण पर गठित तीन सदस्यीय समिति के निर्णय से बेहतर माना जा रहा है, जो चिंतनीय विषय है। प्रत्यावेदिका द्वारा यह बताना कि चयन समिति द्वारा अपने अंतिम चयन प्रपत्र में Order of priority शब्द इंगित किया गया है, न कि Order of merit शब्द। विधिक तौर पर Order of priority शब्द का अर्थ चयन सूची में चयनित समस्त अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान पर चयनित अभ्यर्थी को किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम रूप में अधिमान्यता/प्राथमिकता दी जायेगी। चयन समिति की अंतिम संस्तुति को कार्य परिषद द्वारा भी साक्षात्कार के पश्चात अपनी बैठक में संस्तुति प्रदान की गयी थी, जिसके आधार पर चयनित शिक्षकों को उस समय कार्यभार ग्रहण कराया गया था। इस संदर्भ में विपक्षी द्वारा वरिष्ठता निर्धारण पर हुई आपत्ति पर भी गठित समिति द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तथा दोषपूर्ण निर्णय ले लिया गया। वर्तमान कुलपति द्वारा पुनः वरिष्ठता निर्धारण हेतु पत्र देने के क्रम में कार्य परिषद द्वारा उसके द्वारा दिये गये समस्त साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात सामूहिक चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से पुनः एक बार उसके पक्ष में निर्णय लिया गया, जिसके लिए विपक्षी विगत 3 वर्षों से प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थना–पत्र दे रहे

थे, को न्याय दिया गया जो विधि–सम्मत, नियमों के अधीन एवं तर्क–पूर्ण है।

3(ङ). प्रत्यावेदिका द्वारा यह बताना कि अधिनियम, 1973 की धारा–13 में कुलपति को वरिष्ठता निर्धारण का विधिक अधिकार नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विपक्षी की नियुक्ति तथा वरिष्ठता का निर्धारण कार्य परिषद द्वारा किया गया है, जिसमें कुलपति केवल अध्यक्ष है और निर्णय पूरे सदन का है न कि कुलपति का व्यक्तिगत निर्णय। विश्वविद्यालय में मेरिट निर्धारण हेतु किसी भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। प्रत्यावेदिका के चयन के समय उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उस समय लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा अर्जित Academic Performance Indicators (API) और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को सम्मलित करते हुए मेरिट के आधार पर होता था और मेरिट के आधार पर चयन समिति कार्य परिषद को अपनी Priority list प्रेषित करती थी। विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से चयन सूची तथा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची में विपक्षी का प्रत्यावेदिका एवं सुश्री अन्नू त्यागी से ऊपर क्रम है।

4(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 14.03.2024 में उल्लेख है कि प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी द्वारा विश्वविद्यालय के व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर दिनांक 18.05.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। प्रत्यावेदिका की जन्म तिथि 30.06.1976 एवं विपक्षी की जन्म तिथि 17.07.1983 है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ज्येष्ठता का नियम विश्वविद्यालय परिनियम 17.01 से 17.09 तक अंकित है। धारा 17.01 में उल्लिखित है कि *"जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उसके सापेक्ष किन्ही पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी।"* उक्त धारा 17.07 एवं 17.09 बिन्दु 03 से पहले धारा 17.05 (ख) में उल्लेख है कि ''जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति चयन समिति या कार्य परिषद द्वारा अधिमानता या योग्यता कम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार

इंगित कम द्वारा नियन्त्रित होगी" एवं धारा 17.08 (1) में उल्लेख है कि "किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुये भी यदि कार्य परिषद :–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित, करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता कम अवधारित करेगा"

4(ख). विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 07.01.2022 द्वारा परिसर में कार्यरत शिक्षकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर आपत्ति मांगी गयी थी। प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर विपक्षी द्वारा प्रत्यावेदिका की वरिष्ठता पर आपत्ति जताते हुये प्रत्यावेदन दिया गया, प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा (1) प्रो० बी०बी० तिवारी, विश्वविद्यालय परिसर, (2) प्रो० आर०एन० खरवार, बी०एच०यू० एवं (3) श्री अमृत लाल, सहायक कुलसचिव की तीन–सदस्यीय समिति गठित की गयी, जिसकी बैठक दिनांक 08.04.2022 के बिन्दु संख्या–6 में संस्तुति की गयी कि विपक्षी की वरिष्ठता यथावत रखी जाय क्योंकि चयन समिति द्वारा संस्तुति में स्पष्टतः वरिष्ठता का निर्धारण नहीं किया गया है। समिति की संस्तुतियों के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2022 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी, जिसमें प्रत्यावेदिका वरिष्ठ एवं विपक्षी कनिष्ठ है। विपक्षी द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये प्रकाशित की गयी वरिष्ठता सूची पर आपत्ति दर्ज करते हुये प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ बनाये जाने का अनुरोध किया गया। विपक्षी के आपत्ति पत्र दिनांक 12.09.2023 में वर्णित प्रकरण पर कुलपति के आदेश दिनांक 06.10.2023 द्वारा प्रकरण को कार्य परिषद में रखा गया। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 की कार्यसूची संख्या 13 में निर्णय लिया गया कि चयन समिति की संस्तुति में अंकित क्रमानुसार ही वरिष्ठता अवधारित की जाये, तदनुसार विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा कार्य परिषद के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में कुलपति द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 07.12.2023 के अनुपालन में विपक्षी को प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ घोषित किया गया।

5(क). प्रत्यावेदिका द्वारा अपने प्रत्युत्तर में, प्रत्यावेदन में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए एवं उन पर बल देते हुए मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल कार्यालय का आदेश दिनांक 02.07.2020 एवं विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 31.07.2020 द्वारा निर्धारित वरिष्ठता महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के लिए है, जिसमें उनकी नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उ.प्र. द्वारा की जाती है एवं शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट बना कर किया जाता है जबकि प्रत्यावेदिका की नियुक्ति स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जिसमें उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है। परिनियम 17.14(1) एवं 17.14(2) के विरुद्ध प्रत्यावेदिका की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने के समय/पूर्व यह सूचना नहीं दी गयी थी कि प्रत्यावेदिका की नियुक्ति मेरिट/अधिमान्यता के आधार पर की गयी है जिससे विपक्षी द्वारा इस बिन्दु पर दी गयी सूचना निराधार है।

5(ख). विपक्षी द्वारा मा. उच्च न्यायालय के जिस आदेश संख्या–23115/2014 दिनांक 23.04.2014 का जिक्र किया गया है वह महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए है, जिनका चयन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित अंकों की मेरिट सूची बना कर किया जाता हैं। उक्त मेरिट सूची के आधार पर ही चयनित शिक्षकों को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। प्रत्यावेदिका की नियुक्ति स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जिसमें उक्त प्रावधान एवं विपक्षी द्वारा दिये गये उदाहरण प्रत्यावेदिका के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा लिखित रूप से बताया गया है कि विश्वविद्यालय में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण परिनियमावली, 2010 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाता है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2022 के अंतर्गत परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से बनाने हेतु सहायक कुलसचिव प्रशासन सदस्य थे, जो विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी भी है, अतः शिक्षकों के वरिष्ठता क्रम निर्धारण में त्रुटि की संभावना नहीं के बराबर है। विपक्षी द्वारा जो भी तर्क प्रस्तुत किये गए है वे विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2010 के किस पृष्ठ/धारा या उपधारा से आच्छादित है, का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है, जिससे

स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची ही नियम संगत एवं विधि सम्मत है।

5(ग). विपक्षी की वरिष्ठता के कम में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से प्रकरण सम्बन्धी सूचनाएं मांगे जाने पर, उत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा केवल चयन समिति की कार्यवृत्त (Proceedings of Selection Committee) को उपलब्ध कराया गया, जिसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि उसका चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है तथा तत्कालीन कुलपति द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति ने अपने कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चयन समिति की संस्तुति में स्पष्टतः वरिष्ठता क्रम का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गयी। पूर्व में चयन समिति की संस्तुतियों को कार्य परिषद द्वारा दिनांक 17.05.2018 को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, परन्तु पांच वर्ष बाद नियमों को दरकिनार करते हुए पुनः कार्य परिषद द्वारा विपक्षी का वरिष्ठता क्रम बदल दिया गया। विपक्षी द्वारा दी गयी आख्या प्रत्यावेदिका के संदर्भ में विधिक रूप से नियम संगत नहीं है तथा परिनियमावली व विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

5(घ). विपक्षी द्वारा जिन प्रपत्रों को परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची हेतु साक्ष्य एवं आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है वे सभी प्रकरण महाविद्यालयों के शिक्षकों, जिनकी नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा की जाती है, के वरिष्ठता क्रम के विवाद से सम्बंधित है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2022 के अंतर्गत जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रत्यावेदिका को दिनांक 05.08.2023 को अध्ययन परिषद् का संयोजक बनाया गया तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू होने के उपरांत प्रकाशित सूची दिनांक 16.08.2023 में भी प्रत्यावेदिका का क्रम विपक्षी के ऊपर वरिष्ठता के आधार पर अंकित किया गया है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा परिसर में कार्यरत नियमित शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची अधिनियम/परिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में तैयार/प्रसारित कर शिक्षकों से लिखित रूप में साक्ष्य सहित दिनांक

22.01.2022 तक आपत्ति मांगी गयी थी, जिसके क्रम में समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधन करते हुये अंतिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority list) कुलपति के आदेश दिनांक 19.04.2022 के अनुपालन में प्रकाशित की गई। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2022 द्वारा परिसर के शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी, जिसमें प्रत्यावेदिका वरिष्ठ एवं विपक्षी कनिष्ठ है। विपक्षी द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के उपरांत लगभग एक वर्ष पांच महीने के पश्चात वरिष्ठता सूची पर आपत्ति दर्ज करायी गयी जोकि विधि सम्मत नहीं है इससे स्पष्ट है कि पूर्व में प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची से विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं थी।

5(ङ). विधिक तौर पर Order of priority शब्द का अर्थ चयन सूची में चयनित समस्त अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान पर चयनित अभ्यर्थी को किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम रूप में अधिमान्यता प्राथमिकता दिया जायेगा। चयन समिति द्वारा कहीं भी Order of merit शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि चयन समिति द्वारा Order of priority शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय साक्षात्कार में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों में से तीन पद के सापेक्ष कुल चार अभ्यर्थियों (एक अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची) में चयन प्राथमिक तौर पर किया गया। चयन समिति की अंतिम संस्तुति को कार्य परिषद द्वारा भी साक्षात्कार के पश्चात कार्य परिषद की बैठक में संस्तुत किया था जिसके आधार पर चयनित शिक्षकों को उस समय कार्यभार ग्रहण कराया गया था। जब प्रत्यावेदिका का चयन मेरिट के आधार पर किया गया तो प्रत्यावेदिका के कार्यभार ग्रहण के समय विश्वविद्यालय द्वारा यह नहीं बताया गया कि आपका चयन मेरिट के आधार पर किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में तत्कालीन कुलपति द्वारा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति ने अपने कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चयन समिति की संस्तुति में स्पष्टतः वरिष्ठता क्रम का निर्धारण नहीं किया गया है। प्रत्यावेदिका द्वारा जनसूचना अधिकार के अंतर्गत मेरिट सूची के सम्बन्ध में मागें गए तथ्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी के द्वारा कोई स्पष्ट प्रमाण अथवा तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया। परिनियम 17.09 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि

शिक्षकों के वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो परिनियम 17.09 के अंतर्गत कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया।

5(च). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से सूचना मांगी गई सूचना में विश्वविद्यालय द्वारा केवल चयन समिति की कार्यवृत्त (Proceedings of Selection Committee) को उपलब्ध कराया गया। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 की कार्य सूची 13 के निर्णय में लिखा है कि परिसर में संचालित अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विगाग में कार्यरत प्राध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचारोपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि चयन समिति की संस्तुतियों में अंकित क्रमानुसार ही वरिष्ठता अवधारित की जाय, इसके साथ ही सदन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में इसी तरह के अन्य प्रकरणों को भी उक्तानुसार निर्णीत कर दिया जाय। परन्तु पांच माह व्यतीत हो जाने के उपरांत आज तक विश्वविद्यालय द्वारा न तो विभागवार/संकायवार और न ही विश्वविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गयी जबकि इसी तरह के प्रकरण विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में भी है, इससे स्पष्ट है कि पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची ही विधि सम्मत है, अतएव प्रत्यावेदिका द्वारा न्यायोचित कार्यवाही कराये जाने की याचना की गयी है।

6(अ). प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.12.2023 सुसंगत है जो निम्नवत् अवलोकनीय है :

"कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 के कार्य सूची संख्या 13 के निर्णय विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों के वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचारोपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि चयन समिति की संस्तुति की संस्तुतियों में अंकित क्रमानुसार ही वरिष्ठता अवधारित की जाय।

कार्य परिषद के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में कुलपति द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 07.12.2023 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में

संचालित अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची निम्नवत् है :

क0सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विभाग
01	प्रो० अजय प्रताप सिंह	कैस से प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान
02	डा० मनोज कुमार पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान
03	डा जान्हवी श्रीवास्तव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान
04	डा० अन्नू त्यागी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान

6(ब). प्रकरण में, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 21.02.2022 अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :–

"कुलपति के आदेश दिनांक 09.02.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत नियमित शिक्षकों की विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के कम में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं तत्पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने हेतु समिति का गठन किया है जो निम्नवत् है :

1. प्रो0 बी0बी0 तिवारी, विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्रो0 आर0एन0 खरवार, बाटनी विषय, बी0एच0यू0, वाराणसी।
3. श्री अमृत लाल, सहायक कुलसचिव।

अतः समिति के सम्मानित सदस्यगण से अनुरोध है कि उक्त कार्य को पूर्ण कर कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।"

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी के मध्य उत्पन्न वरिष्ठता विवाद से अंतर्ग्रस्त है। प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 18.05.2018 पूर्वान्ह में व विपक्षी द्वारा भी उसी दिन कार्यभार ग्रहण किया गया है। प्रत्यावेदिका की जन्मतिथि 30.06.1976 एवं विपक्षी डॉ0 मनोज कुमार पाण्डेय की जन्मतिथि दिनांक 17.07.1983 है। विश्वविद्यालय में परिनियम 17.07 एवं 17.09 में विहित प्रावधानानुसार वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जाता है। तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रो. आर. एन. खरवार, पूर्व सदस्य कार्य परिषद्, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की अध्यक्षता में प्रो. बी.बी. तिवारी, डीन, इंजीनियरिंग संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय परिसर एवं तत्कालीन सहायक कुलसचिव, श्री अमृत लाल सदस्य की सदस्यता वाली एक उच्चस्तरीय

विशेषज्ञों की गठित समिति ने तत्समय विपक्षी द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को निरस्त कर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची कार्य परिषद की बैठक में प्राप्त अनुमोदन तथा तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए राजभवन को भी प्रेषित की गई। विश्वविद्यालय/चयन समिति द्वारा किसी भी प्रकार की मेरिट सूची जारी नही की गई थी और न ही किसी तरह की लिखित परीक्षा कराई गई थी, न ही साक्षात्कार का कोई अंक प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर वरिष्ठता तय हो सके, चयन समिति की संस्तुति में किसी भी तरह के वरिष्ठता क्रम का जिक्र नहीं किया गया है। चयन समिति द्वारा **order of merit** शब्द का प्रयोग न करके **order of priority** शब्द का प्रयोग किया गया है। परिनियम 17.05(ख) में उल्लिखित है कि *"एक ही संवर्ग में वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी। परन्तु जहॉं सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियॉं एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति चयन समिति या कार्य परिषद द्वारा अधिमानता या योग्यता कम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी।"* परिनियम 17.08(1)(क) के अनुसार कार्य परिषद चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में प्राध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता का क्रम अवधारित करेगी तथा धारा 17.08(2) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जाय, की सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जाएगी। प्रत्यावेदिका की नियुक्ति के समय इसकी कोई भी सूचना उसे नही दी गई। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्णय के आधार पर विपक्षी प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ हो गया है जबकि पूर्व में आदेश दिनांक 20.04.2022 व कार्य परिषद के कार्यवृत्त दिनांक 17.08.2023 के अनुसार, प्रत्यावेदिका विपक्षी से वरिष्ठ दर्शायी गयी है। विपक्षी द्वारा प्रत्यावेदिका के कथनों को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठता निर्धारण में पद स्थापन तिथि और नियुक्ति तिथि

अर्थहीन/महत्वहीन है। वरिष्ठता निर्धारण हेतु चयन समिति द्वारा चयन सूची में दर्शित योग्यता कम वरिष्ठता का आधार है। चयन सूची तथा साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में विपक्षी का नाम प्रत्यावेदिका एवं सुश्री अन्नू त्यागी से ऊपर कम में है। वरिष्ठता कम के निर्धारण हेतु परिनियम 17.07 एवं 17.10 के स्थान पर परिनियम 17.14(1) लागू होगा।

8. प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी, विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2000 के अध्याय 17, भाग–1 में विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान, परिनियम 17.01 से 17.09 तक वर्णित हैं, जिनमें प्रकरण से सुसंगत निम्न परिनियम अवलोकनीय हैं :–

"17.02. कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे।

17.05. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :

(क .....

(ख) एक की संवर्ग में वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

परन्तु जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति चयन समिति या कार्य परिषद द्वारा अधिमानता या योग्यता कम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित कम द्वारा नियंत्रित होगी। ......

17.07. जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनके सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी।

17.08(1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कार्य परिषद–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता कम अवधारित करेगी। (ख) ......

(2) ऐसे योग्यता कम की, जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उसकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

17.09(1). कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे :

परन्तु उस संकाय का जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए उसे विनिश्चय करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसे विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।''

उपर्युक्त परिनियमावली, 2000 के भाग-2 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान, परिनियम 17.10 से 17.17 तक में वर्णित हैं, जो वर्तमान प्रकरण में प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि प्रत्यावेदिका व विपक्षी का प्रकरण विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है, महाविद्यालय से नहीं। उपर्युक्त के परिशीलन से यह भी परिलक्षित होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण के निस्तारणार्थ परिनियम 17.09 के अनुसार अद्यतन वरिष्ठता समिति का गठन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति अनन्तिम वरिष्ठता सूची सम्बन्धी प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित थी।

9. उल्लेखनीय है कि चूँकि विश्वविद्यालय/चयन समिति द्वारा तत्समय किसी भी प्रकार की मेरिट सूची जारी नही की गई थी और न ही किसी तरह की लिखित परीक्षा कराई गई थी, न ही साक्षात्कार का कोई अंक प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर वरिष्ठता तय हो सके एवं चयन समिति की संस्तुति में किसी भी तरह के वरिष्ठता क्रम का जिक्र नहीं किया गया है। तत्कालीन कुलपति द्वारा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति ने तत्समय विपक्षी द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को निरस्त कर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा

विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची कार्य परिषद की बैठक में प्राप्त अनुमोदन तथा तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए राजभवन को भी प्रेषित की गई थी, उक्त समिति परिनियम 17.09(1) के अनुरूप गठित "ज्येष्ठता समिति" नहीं कही जा सकती है, जबकि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मध्य वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में प्रभावी परिनियमावली, 2000 (द्वितीय संस्करण–2010) के परिनियम 17.09 में व्यवस्था दी गयी है। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2(14) में 'विहित' (*prescribed*) परिनियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है।

10. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित अधिनियम, तद्धीन निर्मित परिनियमावली एवं समय–समय पर संघ व राज्य सरकार द्वारा निर्गत यू.जी.सी. गाइडलाइन्स/दिशा–निर्देश आदि में वर्णित विशिष्ट प्रावधानानुसार संचालित की जाती हैं। यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि सेवा शर्तों को सेवा विधि यथा–अधिनियमों, नियमों व परिनियमों से विनियमित किया गया है तो सुसंगत नियमों के अनुसार ही उक्त सेवा प्रशासित की जानी चाहिए।

11. विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के उपर्युक्त परिनियम 17.09 के बाध्यकारी प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मध्य वरिष्ठता संबंधी प्रकरण/विवाद को कुलपति द्वारा परिनियमानुसार वरिष्ठता समिति गठित करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत कर विधि अनुसार उसका निर्धारण कराया जाना चाहिए। प्रत्यावेदिका के वर्तमान प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परिनियम 17.09 के आलोक में कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संबंध में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियों धनन्जय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एससीसी 9, राम चन्द्र केशव अडके बनाम गोविन्द जोती चवारे, एआईआर 1975 एससी 915, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, एआईआर 1964 एससी 358 एवं जे. जयललिता बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 2 एससी 401 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि विधि द्वारा किसी भी कार्य के करने की रीति विहित की गयी है तो उसे विधि द्वारा विहित रीति से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं।

कुलाधिपति
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर - 222003
CHANCELLOR
Veer Bahadur Singh Purvanchal University
Jaunpur - 222003

राज भवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

12. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिगत् प्रत्यावेदिका डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.12.2023 निरस्त करते हुए परिनियम 17.09 के अनुसार वरिष्ठता समिति का गठन कर, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, तीन माह की अवधि में सकारण आदेश के माध्यम से प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण किये जाने एवं कृत कार्यवाही से इस सचिवालय को भी अवगत कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद को निर्देशित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. डा. जाह्नवी श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग, समन्वयक मिशन शक्ति, प्रभारी महिला अध्ययन केन्द्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. डा. मनोज कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
4. गार्ड फाईल।

(डा. सुधीर एम. बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।